



# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0/259/2024

दिनांक:- 01 फरवरी, 2024

## सूचना

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये गये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारणी।

शासनादेश संख्या-196/सत्तर-2-2024-16(11)/2017 टी0सी0 दिनांक 31 जनवरी, 2024 के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा निर्धारित समय-सारणी में निम्नवत् संशोधन किया गया है-

क्र0सं0	कार्यवाही	समय-सीमा
1.	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक।
2.	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना।	दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक।
3.	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना।	दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 10 मार्च, 2024 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 मार्च, 2024 तक।
6.	निरीक्षण मण्डल का गठन।	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2024 तक निरीक्षण मण्डल का गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 अप्रैल, 2024 तक परीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7.	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक।
8.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 18 मई, 2024 तक।
9.	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 31 मई, 2024 तक।
10.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 20 जून, 2024 तक।

01.02.24  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (अलीगढ़/आगरा परिक्षेत्र), आगरा।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. सम्पादक, समस्त समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में छात्र हित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस निर्देश के साथ की समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. गार्ड फाईल।

01.02.24  
कृते कुलसचिव

प्रेषक,

शिपू गिरि,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-2**

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2024

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3050/सत्तर-2-2023-16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।


2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से निर्धारित समय-सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

क्र0	कार्यवाही	समय-सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राज्य विभाग से सत्यापन कराया जाना	दिनांक 20 फरवरी, 2024 तक।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक।
4.	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 मार्च, 2024 तक।
5.	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20 मार्च, 2024 तक।
6.	निरीक्षण गण्डल का गठन	दिनांक 05 अप्रैल, 2024 तक। (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 30 मार्च तक

		निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) तद्दोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 05 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक।
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्वद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 18 मई, 2024 तक।
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्वद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरुद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 31 मई, 2024 तक।
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 20 जून, 2024 तक।

3- शासनादेश दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

  
(शिशू गिरि)

विशेष सचिव।

संख्या- 196(1)/सत्तर-2-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ०प्र०।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा० मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/  
(शिशू गिरि)

विशेष सचिव।